GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

R.B,E.No. 24/97

No. E(P&A)I-96/CPC/LE-5 New Delhi, Dated: 7.2.97

The General Managers,
All Indian Railways, etc.
(As per standard Mailing List No. I & II).

Sub: Simplification of rules and procedures relating to Leave Rules - Chapter V of Indian Railway Establishment Code, Vol.I.

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 524 of the Indian Railway Establishment Code, Vol.I may be amended as in the advance correction slip No.43 enclosed. These orders will come into force with immediate effect.

2. This issues with the concurrence or the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.

4. Please acknowledge receipt.

Encl.: Correction Slip.

(SHIV DAN SINGH)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A),
RAILWAY BOARD.

No. E(P&A)I-96/CPC/LE-5 New Delhi, Dated: 7.2.97

Copy (with 40 spares) forwarded to the DAI (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways.

Contd.2/---

No. E(P&A)I-96/CPC/LE-5 New Delhi, Dated: 7.2.97

Copy forwarded to :-

F.A. & C.A.Os , All Indian Railways, etc.
(As per Standard Mailing List No.I).

(SHIV DAN SINGH)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A)
RAILWAY BOARD.

No. E(P&A)I-96/CPC/LE-5 New Delhi, Dated: 7.2.97

Copy forwarded to : As per Standard Mailing List NO. III.

for Secretary, Railway Board.

PPSs to CRB, FC, ME, ML, MM, MS, SECRETARY.

PSs to AM(S), AM(F).

PSs to EDE, EDEB, EDF(B), EDPC-I, EDPC-II, EDEN, EDE(IR), ED(PR), JDE(P&A), JDPC.

PAs to JDE(LL), JDE(L), DDE(G), DDE(R)II (2 spares), DDF(E)I, DDF(E)II, DDF(E)III, DDE(G)II, DDE(D&A)I & II.

ERB-I, II, III, IV, V, E(O)II, E(O)III, CASH-I, II, III, E(G), E(GC), BUDGET BRANCH.

E(LR)I, F(E)I, II, III & Special, A/C III (with 10 spares), E(P&A)II, E(NG)I, II, PC-III, PC-IV, PC-V, CODE REVISION CELL AND E(D&A) BRANCHES.

Advance correction slip to Indian Railway Establishment Code, Volume-I (1985 Edition).

Advance Correction Slip No. 43.

Rule 524-FI

The following may be inserted after sub-rule 3 of Rule 524 of Indian Railway Establishment Code Volume I :-

(4) "While affording credit of Leave on Average Pay fraction of a day shall be rounded off to the nearest day."

(Authority :- Railway Board's letter No.E(P&A)I-96/CPC/LE-5, Dated : 7.2.1997.)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं0 24---/97

सं0 ई(पी एंड ए)6-96/सी पी सी/एल ई-5 नई दिल्ली, दि0 7.2.97

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, इत्यादि,
(भाजक डाक सूची सं0 I एवं II के अनुसार)

विषय:- छुट्टी नियमों से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाना-भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I का अध्याय 5.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी यह निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-I के नियम 524 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0 43 के अनुसार संशोधित किया जाए. यह आदेश तत्काल लागू होगें.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा हैं.

3. कृपया पावती दें.

संलग्नक: शुद्धि पर्ची

(शिव दान सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ता)
रेलवे बोर्ड.

सं0 ई(पी एंड ए)I-96/सी पी सी/एल ई-5 नई दिल्ली, दि0 7.2.97

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें.

...2/-

सं0 ई(पी एंड ए)1-96/सी पी सी/एल ई-5 नई दिल्ली, दि0 7.2.97

प्रतिलिपि प्रेषित:-

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, आदि (मानक डाक सूची सं0 I के अनुसार)

(शिव दान सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्था.(वेतन एवं भत्ता
रेलवे बोर्ड.

सं0 ई(पी एंड ए)1-96/सी पी सी/एल ई-5 नई दिल्ली, दि0 7.2.97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:- मानक डाक सूची सं0 III के अनुसार.

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.

प्र.नि.स./अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक, सचिव
नि.स./ अपर सदस्य (का.) अपर सदस्य (वित्त) नि.स./का.नि.स्था., का.नि. ई.बी., का.नि. वित्त (ब), का.नि.वे.आ.-I, का.नि.वे.आ.-II, का.नि.स्था (अ), का.नि.स्था.(औ.सं), का.नि.(ज.सं.), सं.नि.स्था(वेतन एवं भत्ता), का.नि.वे.आ.
वै.स./सं. नि.स्था(श्रम.वि.), सं. नि.स्था.(श्रम), उप.नि.स्था.(सा.), उप.नि. स्था.(अ.)(II)2 प्रतियां), उप.नि.वित्त (स्था.)I, उप निदे.वित्त(स्था.)II, उप नि.वित्त (स्था.)III, उप.नि.स्था.(सा.)II, उप.नि.स्था.(अनु.एवं अ.)I एवं II.

...3/-

ई.आर.बी.I,II,III,IV, V, ई॥ओ॥II, ई॥ओ॥III रोल्ड I,II,III,
स्था.॥सा॥, स्था. ॥रा.सं॥, बजट शाखा,स्था ॥श्र.सं.॥, वित्त ॥स्था.॥I,II,
III एवं विशेष, लेखा III ॥10 प्रतियां॥,
स्था ॥वेतन एवं भत्ता॥, स्था ॥अ.रा.॥ I,II, वेतन आयोग-III,IV,V,
संहिता संशोधन कक्ष तथा स्था ॥अनु.एवं अपील॥ शाखाएं.

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द I (1985 संस्करण)
के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0 43.

नियम 524-आर आई

भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द I के नियम 524 के उप नियम 3 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाए:-

(4) "औसत वेतन अवलाभ क्रेडिट करते समय एक दिन के भाग को समीपवर्ती दिन के लिए पूर्णांकित किया जाए."

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 6.2.97 का पत्र सं0 ई(पी एंड ए)I-96/सी पी सी/एल ई-5).
